

संख्या: 2-13/81-ई0 एक्स0 एन0 एच0-स्थापना- 829
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला-171009 09-01-2023

प्रेषक:
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:
उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

विषय: वरिष्ठ सहायक / सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में विभाग के पत्र संख्या 2-13/81-ई0 एक्स0 एन0 एच0-स्थापना-343-61 दिनांक 04.01.2023 की निरंतरता में आपको सूचित किया जाता है कि निकट भविष्य में वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

सरकार के पत्र संख्या पर(एपी-बी) बी(11)-2/2004-16 दिनांक 03.12.2014 के अनुसार जिस संवर्ग में पदोन्नति हेतु नियमों में दो पथ दर्शाए गए हों उसके लिए पोषक वर्ग में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में प्रावधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में कार्यरत निम्न कनिष्ठ सहायकों संलग्न प्रपत्र पर विकल्प प्राप्त करके इस कार्यालय को 05 दिनों के भीतर प्रेषित करें ताकि वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद को भरने हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री अरुण कपूर	कार्यालय उप-आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मण्डी, हि0प्र0।

भवदीय,



(सुनील शर्मा) हि0प्र0से0

अति0 आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (प्र0)

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

दूरभाष न0 01772621635

09-01-2023

पृष्ठांकन संख्या:2-13/81-ई0 एक्स0 एन0 एच0-स्थापना- 830

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री रमेश चन्द चौहान, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश को इस दिशा निर्देश के साथ कि वह अपना विकल्प पदोन्नति हेतु 05 दिनों के भीतर प्रेषित करें।

IT Cell, किमाजी साईट पर उपलब्ध हेतु।



अति0 आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी (प्र0)

हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

सेवा में,

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।

(उचित माध्यम द्वारा)

विषय: वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने बारे।

महोदय,

मैं _____ (कनिष्ठ सहायक) पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत करता/करती हूँ कि मुझे वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाए तथा इस अवस्था में यदि मेरे से कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ सहायक/सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी पदोन्नत किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पथ पर पदोन्नति के अतिरिक्त अन्य पथ पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा तथा यह विकल्प मूरा अन्तिम विकल्प समझा जाए।

भवदीय,

दिनांक :

(कनिष्ठ सहायक का नाम)

कार्यालय का नाम

क्रम	कर्मचारी का नाम	स्थिति का स्थान
संख्या	श्री अरुण कपूर	कार्यालय वर-आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, भण्डा, हिमाचल